**(भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ)**
**फा. सं. 6/1/2023- डीजीटीआर**
**भारत सरकार**
**वाणिज्य विभाग**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**(व्यापार उपचार महानिदेशालय)**
**चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,**
**5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001**

**दिनांक 31 मार्च, 2023**

**जांच शुरूआत अधिसूचना**
**मामला सं. एडी (ओ.आई.) - 1/2023**

**विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन ऐंड ऑफ टिन प्लेट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के संबंध में।**

1. फा. सं. 6/1/2023-डीजीटीआर : मै० ईजी ओपन ऐंड्स इंडिया प्रा० लि० (एक एमएसएमई इकाई) (इसके बाद इसे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन ऐंड ऑफ टिन प्लेट" (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद से "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" अथवा "पाटनरोधी नियमावली" के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

**क. <u>विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)</u>**

3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन ऐंड ऑफ टिन प्लेट" हैं।

4. संबद्ध वस्तुएं ऐसे डिब्बे (केन)/कंटेनरों के ढक्कन खोलने या सिरों को खोलने में आसानी के लिए आवश्यक होती हैं, जिनका उपयोग उपयोज्य और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की पैकेजिंग में किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं से आसान खुले सिरों (ईजी ओपन ऐंड) को ढ़का जाता है, जिनका निर्माण इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट का उपयोग करके किया जाता है और ये पूर्ण अपर्चर अथवा पूरी तरह खोलने योग्य प्रकृति के होते हैं और ये सामान्यत: लैकर लगाए जाते हैं और इन पर आसान खुले सिरों (ईजी ओपन ऐंड)/ ढ़क्कन (लिड) के टॉप पर खोलने संबंधी अनुदेश मुद्रित होते हैं। पैकेजिंग में डिब्बे/ कंटेनर पर प्रयोग किए/ लगाए जाने वाले परंपरागत ढ़क्कन (लिड) में एक बाहरी उपकरण (टूल) अथवा ढ़क्कन को खोलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जबकि ईजी ओपन ऐंड को ईजी ओपन ऐंड के ही बाहर की ओर लगी रिंग को खींचकर निर्बाध रूप से खोला जा सकता है।

5. साथ ही, संबद्ध वस्तुएं केवल ऐसे आसान खुले सिरों (ईजी ओपन ऐंड) को कवर करती हैं, जो 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के हैं, जिनमें कि 401 व्यास 4 इंच को दर्शाता है और एक इंच का 1/16वां भाग तथा 300 व्यास 3 इंच को दर्शाता है। ये माप व्यापक रूप से डिब्बों/ कंटेनरों और ढ़क्कन के उत्पादकों द्वारा अपनाए गए यूनिवर्सल मापों के अनुरुप हैं ताकि डिब्बों/ कंटेनरों के साथ ढक्कनों (लिड) को उचित तरीके से सीवन (सीमिंग) किया जा सके। उत्पाद को आम तौर पर उत्पाद के माप को दर्शा करके कारोबार किया जाता है और प्राय: मिलीमीटर (एमएम) के संदर्भ में भी माप का उल्लेख किया जाता है।

6. स्पष्टता के लिए, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-

क) ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन ऐंड), जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, टिन फ्री शीट आदि।

ख) किसी भी मेक/ इनपुट सामग्री के ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन ऐंड), जिनका माप 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के अलावा अन्य माप का है।

ग) किसी भी मेक और माप के आंशिक या लघु छिद्र (अपर्चर) के आसान खुले सिरे (ईजी ओपन ऐंड)

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 83 और आगे सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 83099020 के तहत बेस मेटल की विविध वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, जो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है। तथापि, आवेदक ने यह दावा किया है कि किसी अन्य शीर्ष/ टैरिफ मद के तहत विचाराधीन उत्पाद के आयात की संभावना है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे के संबंध में बाध्यकारी नहीं है।

## ख. <u>समान वस्तु</u>

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, कीमत, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर बदल-बदल कर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। अत: वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' मानी जा रही हैं।

ग. <u>पीसीएन प्रणाली</u>

9 जांच के लिए सभी हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना के जारी होने से 20 दिनों के भीतर, पीसीएन के निर्माण के लिए, यदि कोई प्रस्ताव हो, तो अपने प्रस्ताव प्रदान कर सकते हैं।

घ. <u>संबद्ध देश</u>

10. वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन. गण. है।

ड. <u>जांच की अवधि (पीओआई)</u>

11. आवेदक ने 1 अक्टूबर 2021 से 30 सितंबर 2022 (12 महीने) को प्रस्तावित पीओआई माना है हालांकि, प्राधिकरण पीओआई को 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 (12 महीने) तक मानने का प्रस्ताव करता है। क्षति जांच अवधि में अप्रैल 2019-मार्च 2020, अप्रैल 2020-मार्च 2021, अप्रैल 2021-मार्च 2022 और जांच अवधि शामिल होगी।

च. <u>घरेलू उद्योग और आधार</u>

12. यह आवेदन मै० ईजी ओपन ऐंड्स इंडिया प्रा० लि० (एक एमएसएमई इकाई) द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि वह भारत में विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है जिसके पास भारतीय उत्पादन का 100 प्रतिशत हिस्सा है। आवेदक ने यह दावा किया है कि वे पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तात्पर्य से भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक अथवा संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक/ निर्यातक से संबद्ध नहीं है।

13. प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आवदेक ने जांच की अवधि और क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। तथापि, आवेदक ने जांच की अवधि के बाद की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के आयात के एक बार के ब्यौरे प्रदान किए हैं, जिसके लिए जांच की अवधि के दौरान, ऐसे आयात के लिए कारणों के साथ आदेश दिया गया था। यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से आवेदक द्वारा यहां तक कि जांच की अवधि के बाद की अवधि के दौरान भी किए गए आयातों की मात्रा घरेलू उद्योग को पात्र बनने से अयोग्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

14. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, प्राधिकारी प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट है कि यह आवेदन नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है।

**छ. <u>कथित पाटन का आधार</u>**

**<u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>**

15. आवेदक ने यह दावा किया है कि चीन के एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 (क) (i) तथा पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. गण. के उत्पादक का सामान्य मूल्य चीन जन. गण. में प्रचलित लागत अथवा घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर केवल तभी निर्धारित किया जा सकता है, जब चीन जन. गण. से प्रतिवादी उत्पादक यह प्रदर्शित करें कि उनकी लागत और कीमत संबंधी सूचना बाजार से संचालित सिद्धांतों पर आधारित है और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 1 से 6 के संदर्भ में उचित तुलना होती है, अन्यथा संबद्ध देश से उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के आधार पर किया जाए।

16. आवेदक ने यह दावा किया है कि एक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में लागत अथवा कीमत से संबंधित आंकड़े अथवा अन्य वैकल्पिक तरीके इस अवस्था में उपलब्ध नहीं है। अत: सामान्य मूल्य का निर्माण, तर्कसंगत लाभ मार्जिन के साथ बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों को पूरी तरह से समायोजित करने के बाद उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना के अनुसार संबद्ध वस्तुओं की भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर किया गया है।

**<u>निर्यात कीमत</u>**

17. आवेदक ने द्वितीयक स्रोत डेटा के अनुसार सूचित की गई, भारत में आयातों की सीआईएफ कीमत को लिया है और कारखाना बाह्य निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, स्वदेशी मालभाड़ा, दस्तावेजी प्रभारों, हैंडलिंग और क्लीयरिंग चार्ज तथा क्रेडिट लागत के संबंध में समायोजनों का दावा किया है।

**पाटन मार्जिन**

18. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर प्रति पीस आधार पर की गई है, जो प्रथम दृष्ट्या यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न्यूनतम के स्तर से अधिक है और संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद को, संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारत के घरेलू बाजार में पाटित किया जा रहा है।

## ज. क्षति और कारणात्मक संबंध

19. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना को घरेलू उद्योग को क्षति होने के आकलन के लिए विचार में लिया गया है। आवेदक ने, भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में पाटित आयातों की मात्रा में वृद्धि के रूप में कथित पर्याप्त आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य प्रदान किए हैं। आवेदक ने यह दावा किया है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है और संबद्ध आयातों के कारण घरेलू उद्योग कीमतों में वृद्धि नहीं कर पाया, जिससे कि पूरी लागत की वसूली और तर्कसंगत लाभ होता। घरेलू उद्योग ने वित्तीय हानि का सामना किया है जैसा कि जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक पीबीटी, नकारात्मक पीबीआईटी, नकारात्मक पीबीडीआईटी और नकारात्मक आरओआई सहित नकदी हानि में प्रदर्शित होता है। साथ ही, जांच की अवधि के दौरान उत्पादन, बिक्री, और क्षमता उपयोग जैसे मात्रा संबंधी मापदंडों में गिरावट दर्शाई गई है।

20. चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य हैं।

## झ. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

21. आवेदक द्वारा विधिवत साक्ष्य सहित लिखित आवेदन के आधार पर और संबद्ध देश मूल की अथवा निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर स्वयं संतुष्ट होने के बाद और पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतदद्वारा एक जांच शुरू करते हैं ताकि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी

कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी मात्रा की सिफारिश की जा सके जो यदि लगाया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

## ञ. <u>प्रक्रिया</u>

22. वर्तमान जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 के तहत विनिर्दिष्ट सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

## ट. <u>सूचना की प्रस्तुति</u>

23. निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार ई-मेल के द्वारा इन ईमेल पतों, adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और jd16- dgtr@gov.in पर करने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एमएस फार्मेट में होना चाहिए और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों।

24. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए संबद्ध देश की सरकार, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं को, इस अधिसूचना में समय-सीमा के संबंध में खंड में उल्लिखित की गई समय-सीमा के भीतर समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है। ऐसी समस्त सूचना इस जांच शुरूआत अधिसूचना, पाटनरोधी नियमावली तथा प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर, विहित प्रपत्र में और विहित ढंग से दाखिल करनी चाहिए।

25. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरूआत अधिसूचना द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर, विहित प्रपत्र में और विहित ढंग से, इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

27. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट http://www.dgtr.gov.in/ पर नियमित रूप से नजर रखें।

**ठ. समय-सीमा**

28. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर ई-मेल पतों adg16-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in और jd16- dgtr@gov.in पर करने चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, सूचना और अन्य दस्तावेज आमंत्रित करने संबंधी नोटिस जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को प्रदान किया गया था, उसके एक सप्ताह के भीतर उसे प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

29. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

30. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोधों को दायर करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो ऐसे अनुरोधों से पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण बताए जाएं और ये अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर किए जाएं।

**ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति**

31. जहां वर्तमान जांच के लिए कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय आधार पर अनुरोध करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है तो पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। उपर्युक्त का पालन न किए जाने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

32. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उसके साथ में संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

33. अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी हिस्से पर स्पष्ट रूप से '' गोपनीय' ' या '' अगोपनीय' ' अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा '' अगोपनीय' ' माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

34. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है, जिस सूचना के गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा जिस सूचना के अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ उचित कारण बताते हुए विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

35. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना के अगोपनीय पाठ को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीय होने का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है।

36. अगोपनीय सारांश पर्याप्त रुप से विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और पाटरनोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उपयुक्त व्यापार नोटिसों के संदर्भ में पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरणों सहित इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि इसका सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है। अन्य हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ की प्रप्ति के सात (7) दिनों के भीतर, दावा की गई गोपनीयता पर उनकी टिप्पणी को भेज सकते हैं।

37. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप से अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

38. बिना किसी सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के या पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए उपयुक्त व्यापार नोटिसों के संदर्भ में गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

39. प्राधिकारी द्वारा संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करते हुए, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं किया जाएगा।

## ढ. <u>हितबद्ध पक्षकारों के बीच उत्तरों/ अनुरोधों का साझाकरण</u>

40. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी और साथ में उनमें सभी को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के अगोपनीय पाठ ई-मेल पर भेजने का अनुरोध किया जाएगा क्योंकि सार्वजनिक फाइल वर्तमान वैश्विक महामारी के कारण वास्तविक रूप से सुलभ नहीं होगी।

## ण. <u>असहयोग</u>

41. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच में प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरूआत अधिसूचना में निर्दिष्ट समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान करने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

**(अनन्त स्वरूप)**
**निर्दिष्ट प्राधिकारी**